वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम / 692

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांकः जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 1156 दि. 01.07.15

आदेश

विषयः नगरीय क्षेत्रों में नये निर्मित भवनों में स्थायी विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के समसंख्यक पत्र क्रमांक प. 8 (क) (या) डीएलबी / 13 / 7181 दिनांक 24.10.2013 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जोधपुर शहर में नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित भूखंडों पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के निर्मित भवनों एवं ग्रुप हाउसिंग / बहुमंजिला एवं व्यवसायिक भवन के लिए अधिवास प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने के पश्चात् ही विद्युत एवं पेयजल के स्थाई कनेक्शन जारी किए जाए। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता (नगर वृत्त) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा प्रेक्षण क्रमांक 4590 दिनांक 26.11.2013 द्वारा अनुपालना हेतु अग्रेषित किया गया था।

उपरोक्त विषय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2015 को आयोजितं राज्य स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई। इसी क्रम में डबल बैंच सिविल याचिका संख्या 6355 / 2012 के आदेश को ध्यान में रख कर यह निर्णय लिया गया कि जोधपुर शहर में नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित ऐसे भवनों को छोड कर, अन्य शहरो में अवस्थित ऐसे भवनों में स्थायी कनेक्शन जारी किये जा सकते है। नगरीय विकास विभाग भवन निर्माताओं द्वारा भवन विनियमों की अनुपालना नहीं करने पर अपने नियमानुसार कार्यवाही करावें।

अतः सभी को निर्देशित किया जाता है कि जोधपुर शहर में नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित भूखंडों पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के निर्मित भवनों एवं ग्रुप हाउसिंग / बहुमंजिला एवं व्यवसायिक भवन के लिए अधिवास प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने के पश्चात् ही विद्युत के स्थाई कनेक्शन जारी किए जाए।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

01/07

(एम. आर. विश्नोई)
मुख्य अभियंता (पीसी–सी एंड पी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर